24/6/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के बार बार आवाज लगवाई गयी फिर भी प्रार्थी व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी एवं अदम हाजरी के पत्रावली खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर कम्प्यूटर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
निवाई